छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

संपदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र – ....

ऑफर पत्र श्री/श्रीमती .... को भवन/दुकान क्रमांक .... कॉलोनी का नाम ....के लिए इस कार्यालय के मनी रसीद क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा रु. .... (अल्प आय वर्ग हेतु रु. 200.00/निम्न आय वर्ग हेतु रु. 300.00/मध्यम आय वर्ग हेतु रु. 800.00/उच्च आय वर्ग तथा व्यवसायिक संपत्ति हेतु रु. 1000.00) जमा कर प्रदाय किया गया है।

<u>ऑफर पत्र</u>

प्रति,

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
प्रक्षेत्र ....

आवेदक की फोटो

विषय :– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र .... के अंतर्गत भवन/दुकान/हॉल ऑफर आधार पर क्रय ।

महोदय,

मैंने भवन/दुकान/हॉल प्रकार .... क्रमांक .... कॉलोनी .... के क्रय हेतु निर्धारित नियम एवं शर्ते पढ़ ली है, एवं मुझे समझा दी गयी है एवं मेरे द्वारा भवन/दुकान का भौतिक जॉच/निरीक्षण कर लिया गया है। भौतिक निरीक्षण उपरांत मैं भवन क्रय करने हेतु सहमत हूँ। अतः भवन/दुकान क्रय करने हेतु अपना ऑफर एकमुश्त मूल्य पर (अंको में) रु. .... (शब्दो में) रु. .... प्रस्तुत है।

भवन/दुकान क्रमांक .... प्रकार ....स्थान .... क्रय हेतु इस ऑफर के साथ धरोहर राशि (अंको में) रु. .... (शब्दो में) रु. .... बैंक ड्राफ्ट नं. .... दिनांक .... (बैंक का नाम) .... मण्डल में .... जमा करा दी गई है।

1. आवेदक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. वर्तमान पता ....
4. स्थायी पता ....
5. व्यवसाय/नियोक्ता का नाम एवं पता ....
6. जन्म तिथि ....
7. मोबाईल एव दूरभाष क्रमांक ....
8. ई.मेल. आई. डी. ....
9. जाति/श्रेणी– सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि. वर्ग ....
10. वार्षिक आय ....

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मण्डल द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते एवं समय–समय पर संशोधित/निर्धारित नियम एवं शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है।

कृपया मेरा ऑफर स्वीकृत करने की कृपा करें।

संलग्न :– नियम एवं शर्ते ।

भवदीय

ऑफरकर्ता हस्ताक्षर....................................
नाम...
स्थान...
दिनांक...

नोट :–

1. **ऑफर राशि में अंको तथा शब्दो में अंतर होने पर जो अधिक होगी मान्य की जावेगी।**
2. **ऑफर पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट–छॉट अथवा दोहरी लिखावट (ओवर राईटिंग) पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।**
3. **मण्डल की वेबसाईट www.cghb.gov.in से डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का निर्धारित मूल्य पंजीयन राशि के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।**

ऑफर द्वारा आवासीय/व्यवसायिक भवन आबंटन हेतु नियम एवं शर्ते

1. ऑफर के साथ संपत्ति के ऑफसेट मूल्य का 15 प्रतिशत राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र– ....के नाम पर धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य है।
2. ऑफर में प्राप्त उच्चतम ऑफर वाले व्यक्ति की ही प्रतिभूति राशि मण्डल अपने पास रखेगी व अन्य ऑफरकर्ताओं की राशि ऑफर खोलने के उपरांत वापस की जावेगी।
3. ऑफर में उच्चतम ऑफर का निर्णय 03 माह के अंदर प्रदान किया जावेगा व उक्त समय तक धरोहर राशि बिना ब्याज के मण्डल के पास जमा रहेगी।
4. ऑफर स्वीकृति के उपरांत ऑफर की शेष राशि आबंटन आदेश जारी होने के 60 दिवस के अंदर जमा करना होगा अन्यथा आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात की जावेगी।
5. ऑफर स्वीकृति/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा व इसका कोई कारण नही बताया जावेगा।
6. ऑफर में भाग लेने के पूर्व भवन का अवलोकन किया जावे व यथा स्थिति में दुकान/भवन का कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है।

7. भूमि लीज पर रहेगी व मण्डल के नियमानुसार निर्धारित लीजरेन्ट देय होगा।
8. भवन/दुकान हेतु नगर निगम द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर भी नियमानुसार देय होगे।
9. भवन/दुकान का रख–रखाव आबंटी द्वारा स्वयं करना होगा।
10. ऑफर में किसी प्रकार के विवाद बाबत् आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं ऑफरकर्ता को मान्य होगा।
11. भवन/दुकान की पूरी राशि जमा करने के बाद आबंटी को स्वतः खर्च से विक्रय पत्र निष्पादित करना होगा।
12. ऑफर स्वीकृति उपरांत आबंटन ओदश जारी होने के पश्चात् यदि हितग्राही द्वारा किसी कारण वश समय–सीमा में शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा भवन/दुकान क्रय करने हेतु असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो ऐसी स्थिति में मडल धरोहर राशि राजसात करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।
13. कॉलोनी बाह्य सेवा रख–रखाव एवं पॉर्किग नीति/नियम आबंटी/निवासी पर बंधनकारी होगें।
14. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता फोन नं./मोबाईल नं.,ई–मेल आईडी स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।
15. मण्डल द्वारा समय–समय पर लागू किए गए निमय एवं शर्ते को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।
16. किसी भी कारण से यदि आधिपत्य लेने में आबंटी कि ओर से देरी होती है तो कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी आबंटन निरस्त कर सकते है। आबंटी को यदि समयावधि प्रदान की जाती है तो आबंटी द्वारा सुरक्षा शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
17. स्थानीय निकाय, राज्य शासन, केन्द्र शासन एवं मण्डल द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क जैसे–सर्विस चार्ज, कॉमन सर्विस चार्ज एवं भू–संधारण शुल्क आदि प्रभारित किया जाता हैं तो वह भी पृथक से देय होंगे ।
18. हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।
19. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र/संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र .... /कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग .... कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं एवं मण्डल के वेबसाईट **www.cghb.gov.in** में देखी जा सकता हैं।
20. हितग्राही अपने आवास में कम से कम दो पौधे अवश्य लगायें साथ ही सड़क या आवास के आस–पास लगाए गए पौधों की सुरक्षा का ध्यान आवश्यक रुप से देगें।
21. मण्डल में प्रचलित अन्य नियम भवन आधिपत्य के पश्चात् या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होगे उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।

धरोहर राशि से यदि अतिरिक्त अधिक राशि जमा की हो तो उसे हितग्राही को मण्डल द्वारा बिना ब्याज के राशि वापस की जावेगी।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक ....